



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237765
CG-DL-E-30072022-237765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392]

No. 3392]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3557(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के राँची जिले में NH23 के कि.मी. 2.9 से कि.मी. 26 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के राँची जिले में NH23 के कि.मी. 2.9 से कि.मी. 26 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: राँची			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नगड़ी					
गांव का नाम: नारो					
1	258	निजी(रैयती)	आवासीय	0.0424000 (एकर)	0.0171590
2	259	निजी(रैयती)	आवासीय	0.0304000 (एकर)	0.0123027
3	260	निजी(रैयती)	आवासीय	0.0185000 (एकर)	0.0074868
4	261	निजी (एकर)	आवासीय	0.0227000 (एकर)	0.0091866
5	262	निजी (एकर)	आवासीय	0.0256000 (एकर)	0.0103602
6	263	निजी (एकर)	आवासीय	0.0614000 (एकर)	0.0248482
7	265	निजी (एकर)	आवासीय	0.0379000 (एकर)	0.0153379
8	268	निजी (एकर)	आवासीय	0.0185000 (एकर)	0.0074868
9	443	निजी (एकर)	आवासीय	0.0363000 (एकर)	0.0146904
10	444	निजी (एकर)	आवासीय	0.0484000 (एकर)	0.0195872
11	452	निजी (एकर)	आवासीय	0.0789000 (एकर)	0.0319304
12	453	निजी (एकर)	आवासीय	0.0070000 (एकर)	0.0028329
13	458	निजी (एकर)	आवासीय	0.0119000 (एकर)	0.0048159
14	459	निजी (एकर)	आवासीय	0.0233000 (एकर)	0.0094294
15	464	निजी (एकर)	आवासीय	0.0196000 (एकर)	0.0079320
कुल				0.4828	0.1954

[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

S.O. 3557(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH23 in the stretch of land from Km. 2.9 to Km. 26 in the district of RANCHI in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH23 in the stretch of land from Km. 2.9 to Km. 26 NH23 in the district of RANCHI in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND		District: RANCHI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nagri					
Village: Naro					
1	258	Private(Raiyati)	Residencial	0.0424000(Acre)	0.0171590
2	259	Private(Raiyati)	Residencial	0.0304000(Acre)	0.0123027
3	260	Private(Raiyati)	Residencial	0.0185000(Acre)	0.0074868
4	261	Private(Raiyati)	Residencial	0.0227000(Acre)	0.0091866
5	262	Private(Raiyati)	Residencial	0.0256000(Acre)	0.0103602
6	263	Private(Raiyati)	Residencial	0.0614000(Acre)	0.0248482
7	265	Private(Raiyati)	Residencial	0.0379000(Acre)	0.0153379
8	268	Private(Raiyati)	Residencial	0.0185000(Acre)	0.0074868
9	443	Private(Raiyati)	Residencial	0.0363000(Acre)	0.0146904
10	444	Private(Raiyati)	Residencial	0.0484000(Acre)	0.0195872
11	452	Private(Raiyati)	Residencial	0.0789000(Acre)	0.0319304
12	453	Private(Raiyati)	Residencial	0.0070000(Acre)	0.0028329
13	458	Private(Raiyati)	Residencial	0.0119000(Acre)	0.0048159

14	459	Private(Raiyati)	Residential	0.0233000(Acre)	0.0094294
15	464	Private(Raiyati)	Residential	0.0196000(Acre)	0.0079320
Total				0.4828	0.1954

[F. No. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director